Thu, 22 Jun-17; Gujarat Vaibhav - Ahmedabad; Size : 55 sq.cm.; Page : 11

रिलायंस डिफेंस का थेल्स के साथ बड़ा करार

नई दिल्ली। रिलायंस कैपिटल को अपने आवास ऋण कारोबार को अलग करने को लेकर शेयरधारकों की बैठक बुलाने के लिये नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एन.सी.एल.टी.) से मंजूरी मिल गई है। इस कदम से आवास वित्त कंपनी की अलग से सूचीबद्धता का रास्ता सुगम होगा। कंपनी को पहले ही बंबई शेयर बाजार तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से इस बारे में अनापत्ति प्रमाणपत्र मिल चुका है। रिलायंस कैपिटल ने कहा कि रिलायंस होम फाइनेंस की सूचीबद्धता सितंबर तक पूरी होने की उम्मीद है। रिलायंस होम फाइनेंस की सूचीबद्धता के बाद रिलायंस कैपिटल में प्रत्येक एक शेयर के लिये शेयरधारकों को कंपनी का एक शेयर मिलेगा। रिलायंस कैपिटल ने नियामकीय सूचना में कहा कि प्रस्ताव से सभी मौजूदा शेयरधारकों के शेयर का मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और इससे रिलायंस कैपिटल के करीब 10 लाख शेयरधारकों को लाभ होगा। कंपनी के शेयरधारकों की 24 जुलाई को बैठक होगी जिसमें कंपनी के रीयल एस्टेट कर्ज कारोबार को अलग कर उसे पूर्ण अनुषंगी रिलायंस होम फाइनेंस के रूप में अलग करने पर विचार किया जाएगा।